

# नेपाल की तर्ज पर थी विरोध की तैयारी, एंटी रैगिंग कमेटी की रिपोर्ट से खुलासा

सीनियर छात्रों ने जूनियर्स पर डाला था आंदोलन का दबाव,  
नकली आईडी से सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल कराने की थी साजिश




नवभारत न्यूज  
इंदौर. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में सीनियर छात्रों द्वारा नेपाल की तर्ज पर आंदोलन की तैयारी का खुलासा हुआ है. यूनिवर्सिटी की एंटी रैगिंग कमेटी की जांच रिपोर्ट में सामने आया कि सीनियर्स ने प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों पर नकली ईमेल आईडी और ट्विटर अकाउंट बनाए, विशेष हैशटैग वायरल करने और सोशल मीडिया पर संदेश रोटवोट करने का दबाव बनाया. विरोध करने

पर उन्हें बैच आउट करने की धमकी भी दी गई थी.  
एंटी रैगिंग कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, अमन पटेल पिता अशोक राधेश्याम मकवाना, आदित्य शर्मा पिता राजीव शर्मा, अनुज पटेल पिता अशोक पटेल और उमंग अग्रवाल पिता दिनेश अग्रवाल को भूमिका सामने आई है. समिति ने इन छात्रों पर

वीएनएस की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराने की सिफारिश की है. वहीं रिपोर्ट में बताया गया कि सीनियर छात्र अमन पटेल के कहने पर प्रथम वर्ष के विवेक शर्मा ने अन्य छात्रों के फोन से व्हाट्सएप संदेश डिलीट कराए. वहीं उमंग अग्रवाल द्वारा बनाए गए सीनियर इंस्ट्रक्शन नामक व्हाट्सएप ग्रुप पर आंदोलन से जुड़े संदेश साझा किए गए. जांच में यह भी सामने आया कि शिवसागर रेस्टोरेंट में सीनियर और जूनियर छात्रों की बैठक हुई थी, जहां हॉस्टल नियमों की आड़ में दबाव बनाया. इस दौरान सीसीटीवी कैमरे तोड़ने और डीवीआर गायब करने की बातें भी हुईं. वहीं मामले में एबीवीपी मालवा प्रांत के सोशल मीडिया संयोजक

सार्थक जैन का कहना है कि अमन पटेल पहले डीएवीवी कार्यकारिणी में सह मंत्री रह चुका है. हालांकि, नगर अध्यक्ष प्रो. केके धाकड़ ने स्पष्ट किया कि उसका व्यवहार ठीक नहीं होने के कारण उसे दो वर्ष पहले ही परिषद से हटा दिया था. वर्तमान में उसकी कोई भूमिका नहीं है.  
आवेदन जांच में लिया- दंडोतिया-मामले में एडिशनल डीसीपी फ़ाइल राजेश दंडोतिया का कहना है कि आईटी विभाग के अफसर ने आवेदन दिया है, जिसमें पांच छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई है. आवेदन को जांच में लिया है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी: कुलपति  
कुलपति प्रो. राकेश सिंघाई का कहना है कि रिपोर्ट के आधार पर पुलिस से शिकायत की गई है, अभी नामजद शिकायत नहीं दी गई है, पुलिस जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि पहले भी कुछ सीनियर छात्रों को हॉस्टल से निकालने, सेमेस्टर से बाहर करने और आर्थिक दंड देने की कार्रवाई हुई थी. संभवतः उसी का बदला लेने के लिए इस तरह की प्लानिंग की गई.



## प्रदेश अध्यक्ष ने किया कन्या पूजन

बैतूल. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खडेलवाल ने मंगलवार को बैतूल में नवरात्रि में महाअष्टमी के पावन अवसर पर परिवार सहित कुलदेवी का पूजन-अर्चन किया एवं देवी स्वरूपा कन्या पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया.

# आई लव महाकाल, आय लव मोहम्मद ट्रेड में नया मोड़

तखियां हाथ में लेकर उज्जैन की सड़कों पर उतरी महिलाएं  
कांग्रेस नेत्री नूरी खान ने किया प्रदर्शन  
आई लव भारत और आई लव संविधान के नारे लगे



नवभारत न्यूज  
उज्जैन. मंगलवार को शहर में आई लव मोहम्मद और आई लव महाकाल का जो पोस्टर वार सोशल मीडिया पर चल रहा था, उसमें अब नया मोड़ आ गया और महिलाएं हाथों में तखियां लेकर सड़कों पर उतरी और आई लव संविधान के नारे लगे।

मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना-नवभारत से बात करते हुए नूरी खान ने कहा कि कुछ लोग देश में नफरत फैलाना चाहते हैं और लोगों को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने साफ किया कि भारतीय संविधान हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने और अपने विश्वास को व्यक्त करने की पूरी आजादी देता है. वैसे भी मजहब कभी नहीं सिखाता की आपस में बैर रखो लड़ाई झगड़ा करो और धर्म के नाम पर विवाद करो.

इस माहौल में, कांग्रेस नेत्री नूरी खान को अपनी बात को मजबूती से सामने रखने के लिए सड़क पर उतना पड़ा. नूरी खान ने बताया कि यह प्रदर्शन देश प्रदेश और शहर में सद्भावनाओं के लिए वे कर रही हैं.  
अन्य धर्म की महिलाएं शामिल- आई लव मोहम्मद का पोस्टर हाथ में लेकर टॉवर चौक पर नारेबाजी कर रही कांग्रेस न्यूज नूरी खान के साथ कुछ अन्य महिलाएं भी थीं,

जिनके हाथों में विभिन्न संदेशों वाली तखियां थीं। प्रदर्शन के दौरान, इन लोगों के हाथों में जो तखियां थीं, उनमें आई लव मोहम्मद और आई लव महाकाल के अलावा आई लव इस्लाम, आई लव भारत और आई लव संविधान जैसे नारे भी लिखे हुए थे.  
मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना-नवभारत से बात करते हुए नूरी खान ने कहा कि कुछ लोग देश में नफरत फैलाना चाहते हैं और लोगों को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने साफ किया कि भारतीय संविधान हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने और अपने विश्वास को व्यक्त करने की पूरी आजादी देता है. वैसे भी मजहब कभी नहीं सिखाता की आपस में बैर रखो लड़ाई झगड़ा करो और धर्म के नाम पर विवाद करो.

इसमें आपत्तिजनक क्या है  
नूरी खान ने यह सवाल उठाया कि आई लव मोहम्मद कहने में आपत्तिजनक क्या है? उन्होंने स्पष्ट किया, यह बाबा महाकाल की नगरी है, जहां सभी धर्मों के लोग सदियों से मिलजुल कर रहे आए हैं. हर व्यक्ति को अपने धर्म के प्रति प्रेम व्यक्त करने का अधिकार है. जैसे कोई आई लव महाकाल कहता है, ठीक वैसे ही मैं भी आई लव मोहम्मद डंके की चोट पर कहूंगी. उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रदर्शन का उद्देश्य उन लोगों को एक बड़ा संदेश देना है जो धार्मिक भावनाओं को भड़काकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं.

## पेज एक का शो

# 12 जिलों के कलेक्टर बदले

अधिकारी सुरेश कुमार: शोलेन्द्र सिंह: नेहा मारव्या: संजीव श्रीवास्तव: उषा परमार: शिवराजसिंह वर्मा: राजेश बाथम: रजनी सिंह: नीरज कुमार वशिष्ठ: शीतला पटेल: अंकित अस्थाना: लोकेश कुमार जागिड़: चन्द्रशेखर शुक्ला: डॉ. अभय अरविंद बेडेकर: अजय देव शर्मा: नीतू माथुर: अंजु पवन भदौरिया: जमुना भिडे: संस्कृति जैन: बिदिशा मुखर्जी: किरोड़ी लाल मीना: गौरव बैनल: हरेन्द्र नारायण: सुश्री मिशा सिंह:

वर्तमान पदस्थापना कलेक्टर पन्ना कलेक्टर छिंदवाड़ा कलेक्टर डिंडोरी कलेक्टर भिंड अपर आयुक्त राजस्व भोपाल अपर सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग कलेक्टर रतलाम ओएसडी सह मप्र आयुक्त मप्र इंदौर संचालक विमुक्त घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु जनजाति भोपाल कलेक्टर नरसिंहपुर कलेक्टर मुरैना कलेक्टर निवाड़ी कलेक्टर सिंगरौली कलेक्टर अलीराजपुर कलेक्टर पाण्डुर्णा अपर आयुक्त राजस्व रीवा सीईओ जिला रायसेन सचिव जनजातीय प्रकोष्ठ राजभवन भोपाल कलेक्टर सिवनी अपर प्रबंध संचालक मप्र पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल अपर कलेक्टर इंदौर आयुक्त नगरीय भोपाल अपर कलेक्टर जबलपुर

नई पदस्थापना ओएसडी सह आयुक्त चंबल संभाग मुरैना अपर सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालक विमुक्त घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु जनजाति भोपाल अपर सचिव लोक निर्माण विभाग कलेक्टर पन्ना अपर आयुक्त राजस्व भोपाल संभाग अपर सचिव वन विभाग कलेक्टर नरसिंहपुर कलेक्टर पाण्डुर्णा कलेक्टर सिवनी उप सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग कलेक्टर मुरैना उप सचिव राजस्व विभाग अपर प्रबंध संचालक मप्र पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल उप सचिव राजस्व विभाग कलेक्टर अलीराजपुर कलेक्टर डिंडोरी कलेक्टर निवाड़ी आयुक्त नगरीय भोपाल उप सचिव पीएचडी विभाग कलेक्टर भिंड कलेक्टर सिंगरौली कलेक्टर छिंदवाड़ा कलेक्टर रतलाम

# वांगचुक की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल

भोपाल, 30 सितम्बर. लद्दाख हिंसा के बाद पर्यावरणविद और कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कड़ी आपत्ति जताई है. उन्होंने वांगचुक को गांधीवादी और अद्भुत व्यक्तित्व बताते हुए कहा कि उनके साथ किया जा रहा व्यवहार लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है. राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने कहा, मैं सोनम वांगचुक को लंबे समय से जानता हूँ. हाल ही में संसद की स्थायी समिति के दौर में हमने उनके संस्थानों का निरीक्षण किया. वह एक शिक्षाविद, पर्यावरणविद, कार्यकर्ता और गांधीवादी हैं. ऐसे व्यक्तित्व के साथ जो व्यवहार हो रहा है, वह निंदनीय है.  
एनएसए के तहत गिरफ्तारी जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था. वह इस समय राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद हैं. वांगचुक लंबे समय से



लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान को छठी अनुसूची के तहत जनजातीय सुरक्षा की मांग कर रहे थे. दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, सोनम वांगचुक के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाना घोर आपत्तिजनक है. कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है. गौरतलब है कि 24 सितंबर को लद्दाख में हुई हिंसा में चार लोगों की मौत और 80 से अधिक लोग घायल हुए थे.  
पुलिस का आरोप है कि वांगचुक के भाषणों ने प्रदर्शनकारियों को उग्र किया, जिससे हलकात बिंगड़े.

## एक नजर में अधिकारी जनप्रतिनिधी जब दोनों ही खामोश, कैसे होगा जनता की समस्या का समाधान

# 209 करोड़ की सड़क मात्र 6 माह में गड्ढों में तब्दील

बी.एल. जैन



रूपये 209 करोड़ की लागत से निर्मित 8.8 किमी सड़क मात्र 6 माह में गड्ढों में तब्दील, परिणाम दुर्घटनाओं में लोगों के जान की बली, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी मौन, केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी की घोषणाओं पर प्रश्न चिन्ह? प्रधानमंत्रीजी की विकास वाली मंशा पर अधिकारी भारी? आम जनता परेशान, केन्द्र शासन की छवि धूमिल. क्या आम जनता की समस्या का निराकरण होगा?

यहां आकर फेल हो जाते हैं एवं ब्रेक आपस में चिपक जाते हैं तथा क्लच प्लेट भी खराब हो जाती है इस कारण अगस्त 2009 से 2024 तक 3000 से अधिक दुर्घटनाओं में 450 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है एवं सैकड़ों व्यक्ति दुर्घटना में अपने आंग भंग करवा चुके हैं.  
लागतार दुर्घटनाओं में जनहानि एवं जन शिकायतों को देखते हुए एनएचएआई द्वारा इंदौर से मुम्बई जाने वाले मार्ग पर वैकल्पिक रूप से बाकानेर घाट के साईड वाले हिस्से में 8.8 किमी. हिस्से में नई सड़क का निर्माण किया गया है जिसकी चौड़ाई 30 मीटर है. निर्माण कार्य घंटिया किस्म का होने के कारण मात्र 6 माह बाद ही यह सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिसका खामियाजा आदि दिन इस मार्ग से यात्रा करने वाले वाहन चालक एवं यात्री

भुगत रहे हैं. यह प्रोजेक्ट हरियाणा की कम्पनी द्वारा जून 2023 में प्रारम्भ किया गया एवं 30 नवम्बर 2024 में यह मार्ग आवागमन के लिये प्रारम्भ कर दिया गया. 8.8 किमी. सड़क का जो निर्माण कार्य किया गया है वह इतना घंटिया किस्म का है कि पहली बारिश में ही कुल 6 इंच बारिश भी नहीं हुई थी कि इस सड़क पर जगह-जगह गड्ढे हो गये, सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई परिणाम स्वरूप यहां दुर्घटनाए घटित होने लगीं. 15 सितम्बर को रात्रि में गड्ढों को बचाने के चक्कर में एक कार अनियंत्रित हो जाने के कारण आगे चल रहे डम्पर से टकरा गई जिसमें खरगोन के अयान की 24 वर्ष आयु में मौत हो गई. इसके पूर्व भी ऐसे हादसे इस हिस्से में हो चुके हैं. दिल को दहला देने वाली घटनाओं के बाद भी निर्माण कार्य करने वाली कम्पनी एवं

विभागीय अधिकारियों की चेतना/ संवेदना जागृत नहीं हुई. समय-समय पर दिखावे के लिये सांकेतिक पेचवर्क कर दिया गया है लेकिन स्थायी समाधान की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई. परिणाम जनहानि है? क्या ऐसे अधिकारी जो आम जनता की मौत के जिम्मेदार हो उनके खिलाफ हत्या के प्रयास के मुकदमे दर्ज नहीं होना चाहिये?  
प्रतिदिन इस मार्ग से लगभग 18 हजार से अधिक वाहन गुजरते हैं जो टोल भी चुकाते हैं. मालवा क्षेत्र से केन्द्रीय एवं राज्य केबिनेट में मंत्री, सांसद, विधायक एवं कांग्रेस से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, अनेक विधायक भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन जनता के चुने हुए नुमाइंदे भी खामोश हैं. अधिकारी एवं जनप्रतिनिधी जब दोनों ही खामोश हो जायेंगे तो आम जनता कहाँ जाकर दस्तक दे यह विचारणीय प्रश्न है? ऐसी स्थिति में इस गंभीर मामले को जांच सीबीआई अथवा म.प्र. के बाहर के उच्च अधिकारियों से करवकर जिम्मेदार अधिकारियों एवं निर्माता कम्पनी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होना चाहिये.  
(लेखक सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता है)